भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1709

30 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

राज्यों के लिए खाद्य राजसहायता बकाया

1709. श्री सौमित्र खान:

श्री सनातन पांडेय:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई), एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसी योजनाओं के अंतर्गत पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के लिए खाद्य राजसहायता की कोई बकाया राशि जारी की जानी है;

(ख) यदि हां, तो कुल बकाया निधि कितनी है तथा उक्त निधि जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त निधि जारी करने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या उक्त विलंब के कारण उक्त राज्यों में कल्याणकारी योजनाएं और खाद्य वितरण प्रणाली प्रभावित हुई है; और

(ड.) सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को खाद्य राजसहायता का समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (घ): खाद्यान्नों की केंद्रीय पूल की खरीद के लिए राज्यों को स्वीकार्य राशि का भुगतान, राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा लागत शीट के अनुसार किए गए दावों के आधार पर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा किया जाता है, जिसमें खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अन्य आकस्मिक व्यय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल सहित वे राज्य जिन्होंने विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) पद्धति को अपनाया है, उनकी तिमाही खाद्य सब्सिडी के दावों के आधार पर अनंतिम खाद्य सब्सिडी जारी की जाती है जो एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है। स्टॉक के अथ शेष और अंत शेष, खाद्यान्नों की खरीद, आबंटन और वितरण, भारतीय खाद्य निगम के समायोजन, प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन, खाद्यान्नों की आर्थिक लागत आदि को ध्यान में रखते हुए इन दावों को संसाधित किया जाता है। राज्य द्वारा कुछ दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लंबित रहने के बावजूद, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार लगातार पश्चिम बंगाल सरकार को उनके दावों के प्रति खाद्य सब्सिडी की स्वीकार्य राशि जारी कर रहा है। वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 (दिनांक 28.07.2025) के दौरान राज्य सरकार को क्रमशः 6,162.66 करोड़ रुपये, 7115.17 करोड़ रुपये, 226.32 करोड़ रुपये और 9598.55 करोड़ रुपये तथा 78.04 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

...2/-

इसके अतिरिक्त, जैसा कि उत्तर प्रदेश ने खरीद की गैर डीसीपी पद्धति को अपनाया है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा कोई सब्सिडी जारी नहीं की जा रही है। तथापि, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मोटे अनाजों के वितरण के लिए, वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 28.07.2025 तक) के दौरान 119.92 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।

(ङ.): खाद्य सब्सिडी दावों को समय पर जारी करने और अनंतिम लागत शीट को जारी करने हेतु, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने दिनांक 05.12.2024 को एक ऑनलाइन पोर्टल नामतः एनएफएसए के लिए सब्सिडी दावा एप्लीकेशन (स्कैन) को शुरू किया है और सभी दावों का केवल स्कैन पोर्टल के माध्यम से संसाधन और निपटान किया जाता है।

*****